राजस्थान सरकार

राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन

स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर –302005
(फोन न0 0141–5110739, फैक्स न0 0141–5111040)

क्रमांक : प. 1( ) आरएमएससी/वित्त /पैकर्स/2011–12/ दिनांक :

निगम मुख्यालय, जयपुर एवं विभिन्न जिलों में स्थित DDW पर जॉब आधारित सहायक/पैकर्स सेवा हेतु निविदा

1. **परिचय** :– राजस्थान मेडिकल सविर्सेज कॉर्पोरेशन लि0 राजस्थान सरकार का उपक्रम है जोकि कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत राज्य सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कम्पनी है। निगम का उद्देश्य केन्द्रीयकृत व्यवस्था के अन्तर्गत सर्वाधिक उपयोग में आने वाली आवश्यक औषधियॉ/सर्जिकल्स/सूचर्स को क्रय कर राजस्थान राज्य स्थित राजकीय चिकित्सा संस्थानो/अस्पतालों में आने वाले मरीजों को सर्वाधिक उपयोग में आने वाली दवाइयों को निःशुल्क उपलब्ध कराना है।

निगम द्वारा औषधियों के क्रय हेतु मुख्यालय जयपुर से दवा विनिर्माता फर्मो को सीधे क्रयादेश दिए जाते है एवं आपूर्तिकर्त्ता फर्मो द्वारा क्रयादेश की पालना में समस्त राजस्थान में **स्थित 33 जिलो में** जहॉ प्रत्येक जिले में निगम का भण्डारगृह है में संबंधित आपूर्तिकर्त्ता फर्म द्वारा औषधियों की आपूर्ति की जाती है।

निगम के जिलो में स्थित DDW में जहॉ एक ओर आपूर्तिकर्त्ता फर्मो द्वारा औषधियों की आपूर्ति की जाती है एवं संबंधित DDW द्वारा उस जिले में स्थित विभिन्न चिकित्सा संस्थानों यथा जिला अस्पताल, सब–डिविजन अस्पताल, सेटेलाइट अस्पताल, पीएचससी, सीएचससी इत्यादि के अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा अपनी आवश्यकतानुसार DDW से औषधियॉ प्राप्त की जाती है।

निगम द्वारा निगम मुख्यालय एवं समस्त राज्य स्थित DDW कार्यालयों पर जॉब आधारित सहायक/पैकर्स सेवा हेतु सेवा प्रदाता फर्म/सोसाइटी जिन्हें इस कार्य का पूर्व में अनुभव है से निविदाएं आंमत्रित की जाती है। **उक्तानुसार जॉब आधारित सहायक/पैकर्स सेवा के लिए न्यूनतम हिन्दी एवं अंग्रेजी का ज्ञान होना अनिवार्य है।** जिले मुख्यालय, जयपुर जिनका विवरण नियमानुसार है हेतु कुल 70 ईकाईयों की आवश्यकता है। सामान्यतः प्रत्येक जिले हेतु 2 ईकाईयों एवं मुख्यालय हेतु 10 ईकाईयों हेतु निविदा आमंत्रित की जा रही है। ईकाईयों (Units) की संख्या में प्रत्येक जिले पर औषधियों के Flow के अनुसार वृद्धि/कमी की जा सकती है।

क्र.सं.	जिलो के नाम	प्रत्येक DDW पर सहायक ईकाई की कुल संख्या
1	जयपुर DDW	2

2	अलवर	2
3	भरतपुर	2
4	दौसा	2
5	धौलपुर	2
6	झुंझुनू	2
7	सीकर	2
8	अजमेर	2
9	भीलवाडा	2
10	नागौर	2
11	टोंक	2
12	बीकानेर	2
13	चूरू	2
14	श्रीगंगानगर	2
15	हनुमानगढ़	2
16	जोधपुर	2
17	बाडमेर	2
18	जैसलमेर	2
19	जालौर	2
20	पाली	2
21	सिरोही	2
22	कोटा	2
23	बांरा	2
24	बून्दी	2
25	झालावाड	2
26	करौली	2
27	सवाईमाधोपुर	2
28	उदयपुर	2

h

29	बांसवाडा	2
30	चित्तोडगढ़	2
31	डूंगरपुर	2
32	प्रतापगढ	2
33	राजसमंद	2
34	निगम मुख्यालय, जयपुर	15

इस हेतु जॉब पर आधारित सहायक/पैकर्स सेवा हेतु खुली निविदाएँ आमंत्रित की जाती है। ऐसी फर्म/कम्पनी/सोसाईटी जिन्हें इस तरह की सेवाओं को उपलब्ध कराने का अनुभव हो, निविदा भर सकते है। निविदा फार्म निगम के मुख्यालय से 1000/– रू. का डिमाण्ड ड्राफ्ट या बैंक पे–आर्डर जमा कराकर प्राप्त किये जा सकते है। निविदा फार्म निगम की वेबसाइट www.rmsc.nic.in एवं www.rajswasthya.nic.in से भी डॉउनलोड किया जा सकता है। फार्म की निर्धारित फीस समय/दिनांक से पूर्व डिमाण्ड ड्राफ्ट जो प्रबंध निदेशक, आरएमएससी, जयपुर के पक्ष में देय हो जमा कराना होगा। **ध्यान रहे नकद राशि जमाकर फार्म नहीं दिया जाएगा।** यदि कोई निविदादाता आवेदन पत्र डाक से प्राप्त करना चाहते है तो उन्हे प्रार्थना पत्र के साथ स्वयं का पता लिखा हुआ मय डाक टिकिट राशि रू. 100/– लिफाफा साथ भिजवाते हुए, 500/– रू. का डिमाण्ड ड्राफ्ट या बैंक पे–आर्डर भेजकर प्राप्त किये जा सकते है। डिमाण्ड ड्राफ्ट राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लि० के नाम जयपुर में भुगतान योग्य होना चाहिये। निविदादाता को भरे हुए आवेदन पत्र के साथ 70,000/– रू. का डी.डी. EMD हेतु संलग्न करना होगा जिसके अभाव में निविदा फार्म निरस्त कर दिया जाएँगा। **निविदादाता को सम्पूर्ण राज्य के लिए आवेदन करना होगा।** निविदाएँ अशतः स्वीकार्य नही होगी। पूर्ण रूप से भरी हुई निविदाएं दिनांक 16.11.2011 को सांयः 3 बजे तक जमा कराई जा सकती है जो उसी दिन सांयः 5 बजे उपस्थित सभी निविदादाताओं के समक्ष खोली जाएगी।

2. आवेदन के लिए वांछित पात्रता

1. निविदादाता फर्म/कम्पनी/सोसाइटी का न्यूनतम टर्न ऑवर रू. 50.00 लाख हो। वांछित प्रमाणिक दस्तावेज बैलेंश शीट, Profit and Loss A/c संलग्न करे।
2. फर्म का श्रम विभाग एवं राज्य/केन्द्र सरकार के अधिनियमों के प्रचलित अन्तर्गत पंजीकरण होना वांछित है। पंजीकरण संख्या व उसका प्रमाण पत्र संलग्न करे।

3. फर्म/कम्पनी द्वारा न्यूनतम एक सरकारी विभाग/उपक्रम में इस तरह का कार्यानुभव विगत 3 वर्षों में होना अनिवार्य है। प्रमाण पत्र संलग्न करे।
4. सरकारी विभाग/उपक्रम द्वारा संतोषजनक सेवा का प्रमाण–पत्र।
5. आवेदक को पंजीकृत कार्यालय/शाखा पूर्ण पते, दूरभाष नम्बर, फैक्स नम्बर सहित होना अनिवार्य है।
6. निविदादाता का राजस्थान में पंजीकृत कार्यालय होना अनिवार्य है।

3. आवेदन की विधि तथा अर्नेस्ट मनी जमा कराना

समस्त निविदाएँ प्रबंध निदेशक, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लि0 जयपुर के नाम से संबोधित होगी तथा मुहरबंद लिफाफे में प्रस्तुत करनी होगी। निविदा फार्म विधिवत् रूप से निगम से क्रय किया होना अनिवार्य है। फोटो–स्टेट या अन्य के नाम क्रय किया हुआ आवेदन पत्र स्वीकार्य नही होगा। आवेदन पत्र व्यक्तिशः या रजिस्टर्ड डाक द्वारा निर्धारित तिथि 16.11.2011 एवं समय सांय 3.00 बजे तक जमा कराया/भेजा जा सकता है। लिफाफे पर स्पष्ट रूप से जॉब आधारित सहायक सेवा हेतु निविदा लिखा होना चाहिए। निविदा के साथ अर्नेस्ट मनी के रूप में 70000/–रू. का डिमाण्ड ड्राफ्ट या बैंक पे–ऑर्डर संलग्न करना अनिवार्य होगा जिसके अभाव में आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। यह ड्राफ्ट लिफाफा–ए में रखा जाएगा। असफल निविदादाता को अर्नेस्ट मनी लौटा दी जाएगी तथा सफल निविदादाता की उक्त राशि प्रतिभूति राशि में समायोजित कर ली जाएगी।

4. कार्यों का विवरण
मुख्यालय जयपुर

1. ऑफिस का रख–रखाव करना।
2. कार्यालय की फाईले एवं दस्तावेजों को एक शाखा/स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानीय स्तर पर सुरक्षित रूप से पहुँचाना।
3. सेवा राजपत्रित अवकाशों के अलावा प्रत्येक दिवस सुनिश्चित करनी होगी। राजपत्रित अवकाश के दिन भी आवश्यकतानुसार सेवा प्रदात्ता से वांछित कार्य करवाया जा सकता है।
4. गुणवत्ता शाखा के लिए विभिन्न जिला औषधि भण्डार गृहों जो औषधियॉं इत्यादि मुख्यालय जयपुर को समय–समय पर आती है। इन्हें सुव्यवस्थित रूप से लोडिंग/अनलोडिंग करना।

जिला औषधि भण्डार गृह पर :–

1. भण्डार गृह का पूर्ण रख–रखाव।
2. औषधियों को प्रभारी अधिकारी, जिला औषधि भण्डार गृह के निर्देशों के अनुरूप सुव्यवस्थित करना।
3. औषधियों को प्रभारी अधिकारी, जिला औषधि भण्डार गृह के निर्देशों के अनुरूप आवश्यकता होने पर लौडिंग/अनलौडिंग का कार्य करना।

4. सामान्यतः सेवा राजपत्रित अवकाशों के अलावा प्रत्येक दिवस सुनिश्चित करनी होगी। राजपत्रित अवकाश में भी आवश्यकतानुसार सेवा प्रदाता से वांछित कार्य करवाया जा सकता है।

5. निविदा का खोला जाना

दिनांक 16.11.2011 को सांयः 3 बजे तक प्राप्त निविदा प्रपत्रों को उसी दिन सांयः 5 बजे उपस्थिति निविदादाताओं के समक्ष खोले जाएगें।

6. प्रतिभूति राशि

सफल निविदादाता को कार्यादेश राशि के 5 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति राशि जरिये डिमाण्ड ड्राफ्ट या बैंक पे–आर्डर प्रबंध निदेशक, आरएमएससी के नाम जो जयपुर में भुगतान योग्य हो, के माध्यम से जमा करानी होगी पूर्व में अर्नेस्ट मनी के रूप में जमा राशि समायोजित की जा सकेगी। यह प्रतिभूति राशि निविदादाता द्वारा कार्यादेश में वांछित अवधि समाप्त होने पर तथा समस्त कार्य संतोषजनक पूर्ण करने पर ही लौटाई जा सकेगी अन्यथा कि स्थिति में यह पूर्ण रूप से/अंशतः जब्त की जा सकेगी।

7. उत्तरदायित्व

सेवा सम्पादन के दौरान मैन पॉवर की किसी प्रकार की दुर्घटना या भारत/राजस्थान में प्रचलित किसी कानून/नियम/अधिनियम/उपनियम के उल्लंघन की स्थिति में सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। सेवा हेतु रखे गये सहायक सेवा की समस्त प्रकार की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। सफल निविदादाता को प्रत्येक जिले/संभाग स्तर पर जिम्मेदार अधिकारी/व्यक्ति का नाम, पता व मोबाइल नम्बर उपलब्ध करवाना होगा ताकि कार्य सुचारू रूप से हो सके।

8. निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने की शक्तियॉ

निविदा को बिना कारण बतायें पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से अस्वीकार करने के सम्पूर्ण अधिकार प्रबंध निदेशक, आरएमएससी, जयपुर को होगें। साथ ही स्वीकृत न्यूनतम दर पर एक या एक से अधिक निविदादाताओं को कार्य विभाजन का भी उन्हें अधिकार होगा। यह अनिवार्य नही की असफल निविदादाता के साथ पत्र व्यवहार करें या उनके पत्र व्यवहार का जवाब दिया जाऍ। एक बार टेन्डर प्रस्तुत कर देने के पश्चात् वापस लेने का अधिकार किसी निविदादाता को नही होगा। अपूर्ण निविदा फार्म रद्द कर दिए जाएगें। निविदा में प्राप्त दरें नेगोशियेशन/बिना नेगोशियशन स्वीकार करने के पूर्ण अधिकार निगम को होगें जो निविदादाता के लिए बाध्यकारी होगें।

9. अनुमानित राशि का आंकलन

उपर्युक्त बिन्दु संख्या–1 में वर्णित कार्य संख्या अनुमानित है, जिसमें मौके पर कुछ परिवर्तन संभावित है। उक्तानुसार कार्य की अनुमानित लागत राशि रू. 35.00

लाख प्रतिवर्ष है। इसके अतिरिक्त इसमें अन्य कोई कर सम्मिलित नही है। निगम द्वारा आयकर स्त्रोत पर काटकर ही राशि का भुगतान किया जाएगा।

10. निविदा अनुबंध की अवधि

अनुबंध की अवधि एक वर्ष के लिए होगी तथा जो परस्पर सहमति से बढाई/घटाई जा सकती है। यदि किसी दिन कार्य नही हो तो उस दिन का किसी प्रकार का Idling/Haltage Charge देय नहीं होगा।

11. अनुबन्ध

सफल निविदादाता को निगम द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुसार उपयुक्त राशि रू. 5000/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर एक अनुबंध सम्पादित करना होगा। जिसका व्यय निविदादाता को वहन करना होगा। दोनो पक्षो को उक्त अनुबंध की प्रत्येक शर्त का अक्षरशः पालन करना होगा। यदि निविदादाता उक्त शर्तो का उल्लघंन करता है तो अनुबंध किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दिया जाएगा। तथा उक्त कार्य अनुबंधकर्त्ता की Risk and Cost पर अन्य व्यक्ति से करा लिया जाएगा। यदि करार के पश्चात् जिला औषधि भण्डार गृह की संख्या में किसी प्रकार की बढोतरी/कमी होती है तो आनुपातिक आधार पर राशि बढाई/घटाई जा सकती है।

12. भुगतान की शर्तें

बिल का भुगतान मासिक आधार पर किया जाएगा। सफल निविदादाता सेवा प्रदाता को प्रतिमाह संबंधित जिला औषधि भण्डार गृह के प्रभारी अधिकारी से सेवा संतोषजनक होने का प्रमाणीकरण करवाकर प्रत्येक माह की 5 तारीख तक बिल निगम मुख्यालय पर प्रस्तुत करने होगें जिसके आधार पर भुगतान किया जा सकेगा। उक्त सेवाओं के बदले निगम द्वारा सेवाओं के संतोषजनक पाये जाने पर मासिक आधार पर भुगतान समेकित रूप से निविदादाता सेवा प्रदाता को किया जाएगा।

13. भुगतान की जिम्मेदारी

निगम निविदादाता (सेवा प्रदात्ता) को मासिक आधार पर सेवाओं के संतोषजनक होने पर सेवा प्रदात्ता फर्म को भुगतान करेगा। अन्य किसी भी तरह की जिम्मेदारी से मुक्त होगा। सहायक/पैकर्स सेवा के किये जाने वाले भुगतान तथा अन्य किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी से मुक्त होगा।

14. मध्यस्थ

निविदा की किसी भी शर्त/शर्तों के संबंध में निगम का निर्णय अंतिम तथा बाध्यकारी होगा। निविदा के Execution के दौरान किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में प्रकरण Arbitration and Conciliation Act के तह्त रैफर किया जाएगा। निगम को इसके लिए Sole Arbitrator नियुक्त करने की पूर्ण शक्तियां होगी

जिसकी नियुक्ति में आया समस्त व्यय दानों पक्षो द्वारा समान रूप से वहन किया जाएगा।

15. कार्यादेश का निरस्तीकरण

निगम को किसी भी कार्यादेश को निरस्तीकरण पेटे बिना कोई भुगतान किए पूर्णतः/आंशिक रूप से निरस्तीकरण के सम्पूर्ण अधिकार होगें लेकिन यह मात्र असामान्य/विशेष परिस्थितियों में ही हो सकेगा।

16. निविदा शर्तों की स्वीकारोक्ति

निविदादाता से यह अपेक्षा की जाती है कि वह निविदा भरते समय निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ पर अपने लघु हस्ताक्षर करेगा जिससे यह माना जाएगा कि उसने प्रत्येक शर्त पढ़/समझ ली है तथा उसे/उन्हें पूर्ण रूप से स्वीकार्य है। अहस्ताक्षरित टेन्डर निरस्त किए जा सकते है। भारत/राजस्थान सरकार द्वारा लागू किए गए किसी भी कर/लेवी की वसूली सफल निविदादाता के बिल से कटौती निगम द्वारा की जाएगी।

प्रबंध निदेशक
आरएमएससी

मै/हमने .... टेन्डर की शर्तों का भली–भांति अध्ययन कर लिया है तथा मै/हम उपर्युक्त शर्तों के पूर्ण रूप से पालन हेतु कटिबद्ध है।

दिनांक **निविदादाता के हस्ताक्षर तथा सील, यदि हो**

नोट :– उपर्युक्त निविदा में कॉ–पार्टनर फर्म के मामले में प्रबंध निदेशक, प्रोपाईटर द्वारा प्रोपाईट्री फर्म के मामले में तथा कॉ–ऑपरेटिव सोसाइटी के मामले में सचिव द्वारा हस्ताक्षर किए जाने है।

वित्तीय प्रस्ताव

प्रपत्र "जी"

निगम मुख्यालय जयपुर एवं विभिन्न जिलों में स्थित डीडीडब्ल्यू पर जॉब आधारित सहायक/पैकर्स सेवा हेतु निविदा प्रस्ताव	प्रस्तावित राशि (रु.)	'कर' यदि कोई देय हो	कुलयोग (रु.)
01	02	03	(2+3)

नोट :– निविदादाता द्वारा निर्धारित प्रपत्र में वित्तीय प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा अन्यथा निविदा मान्य नही होगी।

हस्ताक्षर निविदादाता
(अधिकृत प्रतिनिधि)